भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1287

दिनांक 09/02/2021/20 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

आठवीं अनुसूची में तुलु भाषा शामिल करना

†1287. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास संविधान की आठवीं अनुसूची में तुलु भाषा शामिल करने की कोई योजना है क्योंकि तुलु भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग लबे समय से की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) और (ख): वर्तमान में, संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तुलु सहित कई और भाषाओं को शामिल किए जाने की मांग की जाती रही है। चूंकि, बोलियों और भाषाओं का विकास एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है, जो सामाजिक - सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास से प्रभावित होती है, इसलिए भाषाओं के लिए ऐसा कोई मानदंड निर्धारित करना मुश्किल है, जिससे उन्हें बोलियों से अलग किया जा सके अथवा उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जा सके। पाहवा (1996) और सीताकांत मोहापात्रा (2003) समितियों के माध्यम से ऐसे निर्धारित मानदंड विकसित करने के पूर्ववर्ती प्रयास अनिर्णायक रहे। भारत सरकार आठवीं अनुसूची में अन्य भाषाओं को शामिल करने से संबंधित उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को लेकर सचेत है। ऐसे अनुरोधों पर इस प्रकार की भावनाओं तथा अन्य प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

****